राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 19/2021 प्रार्थना पत्र

उनवान

श्री रसीद घोचा पुत्र श्री वल्ली मोहम्मद निवासी ग्राम मुल्तानपुरा, मोहल्ला नीम चौक, तहसील व जिला मन्दसौर (म0प्र0)	**बनाम**	थानाधिकारी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
--प्रार्थी		--विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :- श्री देश कुमार मालावत(अधिवक्ता) – प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 28.10.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री रसीद घोचा पुत्र श्री वल्ली मोहम्मद निवासी ग्राम मुल्तानपुरा, मोहल्ला नीम चौक, तहसील व जिला मन्दसौर (म0प्र0) का वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 0359 है, को पुलिस थाना शाहपुरा तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा ने वजह सबूत में अपनी अभिरक्षा में लिया है। प्रार्थी उक्त वाहन का स्वामी हैं। पुलिस को तफतीश में उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नही हैं। न्यायालय द्वारा जब भी उक्त वाहन को तलब किया जायेगा प्रार्थी अपने स्वयं के खर्चे से उपस्थित कर देगा। प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु संतुष्टि प्रतिभूति व स्वयं का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 0359 को प्रार्थी को सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.10.2021 को पंजीकृत करते हुये विपक्षी से प्रकरण में की गयी कार्यवाही रिपोर्ट तलब की गयी। थानाधिकारी शाहपुरा ने पत्रांक 3063 दिनांक 07.09.2021 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

थानाधिकारी शाहपुरा ने उनके प्रकरण संख्या 338/2020 अंतर्गत धारा 3, 5, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात विनियमन) नियम, 1995 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि जरिये मुखबीर गोवंश वाहन में भरे होने की सूचना मिलने पर ग्राम सरहद शिवपुरा (सोपुरा) में एक वाहन वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 0359 में 07 बछडे गोवंश के मिले। सभी 07 नग गोवंश (बछड़े) एवं वाहन मिनी वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 0359 को जरिये फर्द पृथक पृथक जप्त किया गया तथा सभी 07 नग गोवंश (बछड़े) गोशाला पशुपति नाथ, शाहपुरा के संचालक श्री माधव प्रसाद शर्मा को सिपुर्द कर रसीद प्राप्त की गयी एवं वाहन को थाना आहते में खड़ा कराया गया।

वाहन स्वामी श्री रसीद घोचा द्वारा जब्तशुदा वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 0359 को श्री बाबु मंसूरी पुत्र श्री वफा मंसूरी निवासी मंदसौर (म0प्र0) के कब्जे में होने बाबत् पॉवर ऑफ अटोर्नी दिनांक 05.11.2020 को दिया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर डी0एल0 01 एम 5957 को प्रार्थी को जमानत पर सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का परीक्षण किया गया जिस अनुसार पाया गया कि थानाधिकारी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा ने वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 0359 को अपनी तहवील में लिया है। न्यायालय श्रीमान् अपर सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा जिला भीलवाडा के निर्णयानुसार मुल्जिम बर जमानत आजाद है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को इस हेतु पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी उक्त वाहन का किसी भी तरह से बेचान या हस्तांतरण, गिरवी, खुर्द बुर्द, व रंगरोगन/आकार–प्रकार में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं करेगा एवं अनुसंधान/सक्षम न्यायालय में विचारण में जब भी आवश्यकता हो, वाहन को स्वयं के खर्चे पर प्रस्तुत करेगा। प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 0359 के रिलीज किये जाने बाबत् कुल रूपये 8,00,000/– (आठ लाख रूपये) के जमानत मुचलका मय सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया गया जिन्हें तस्दीक किया गया।

विपक्षी थानाधिकारी, शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के जमानत मुचलका पेश कर दिये जाने से उक्त वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 0359 को रिलीज किया जावें। जिला परिवहन अधिकारी, मन्दसौर (म0प्र0) को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में रिलीज किये जाने वाले वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 0359 को श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा/अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई अन्य केस विचाराधीन होने पर, उसके निस्तारण तक किसी अन्य को बेचान, रहन, खुर्दबुर्द व हस्तान्तरण न करें व न ही किसी अन्य से करावें।

उप पंजीयक तहसील, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0) एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भीलवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जमानत मुचलके के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी खतौनी में अंकित ग्राम गलवा पटवार हल्का गलवा तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 1572/1056, 1573/1057, 1577/1061, 277, 646 कुल किता 05 कुल रकबा 1.8200 है0 जमानतदार श्री बद्रीलाल जाट पुत्र गोकल जाट निवासी चावंड़ खेडा, गलवा तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा की कृषि भूमि को श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा/अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई अन्य केस विचाराधीन होने पर उसके निस्तारण तक किसी अन्य को बेचान, रहन, खुर्दबुर्द व हस्तान्तरण न करें व न ही किसी अन्य से करावें।

उप पंजीयक, भिनाय जिला अजमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जमानत मुचलके के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी खतौनी में अंकित ग्राम बड़गाँव पटवार हल्का बड़गाँव तहसील भिनाय, जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 2608, 2611, 2816 कुल किता 03 कुल रकबा 0.5900 है0 में से जमानतदार श्री दावल पुत्र हजारी मंसूरी निवासी मारूति कॉलोनी, भीलवाड़ा के हिस्से की कृषि भूमि को श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा/अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई अन्य केस विचाराधीन होने पर उसके निस्तारण तक किसी अन्य को बेचान, रहन, खुर्दबुर्द व हस्तान्तरण न करें व न ही किसी अन्य से करावें।

वाहन रिलीज के निर्णय की प्रति थानाधिकारी शाहपुरा, जिला भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावें। निर्णय की प्रति जिला परिवहन अधिकारी, मन्दसौर (म0प्र0), उप पंजीयक रायपुर जिला भीलवाड़ा, उप पंजीयक भिनाय, जिला अजमेर एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भीलवाड़ा/अजमेर को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा